(ii). इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा डी0एड0 (विशेष शिक्षा) और बी0एड0 (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।

(iii). एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी0एड0) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।

(iv). डी0एड0 (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(v). ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान/गणित, विज्ञान इत्यादि के शिक्षकों के लिए लागू है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 विनियम दिनांक 03.11.2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान एवं कार्य शिक्षा इत्यादि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेगे जब तक एन.सी.टी.ई. ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित नही करती है।

(vi). ऐसा अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री (बी0एड0)अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी0एल0एड0) के अन्तिम वर्ष में शामिल हो रहें हैं को अनन्तिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा और उनका यू0पी0टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।

(vii). ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नही होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नही होगा।

7. यू0पी0टी0ई0टी0 की संरचना व विषय वस्तुः-

7.1 यू0पी0टी0ई0टी0 में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नही होगा। यूपीटीईटी के दो पेपर होंगे।

(i). प्रथम प्रश्न पत्र (Paper-Ist) ऐसे व्यक्ति के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। (प्राथमिक स्तर)

(ii). द्वितीय प्रश्न पत्र (Paper-IInd) ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते है। (उच्च प्राथमिक स्तर)

(iii). ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर (कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक) के लिए शिक्षक बनना चाहता है, को दोनो पेपरों (Paper - I and Paper-II) में शामिल होना होगा।

7.2 प्रथम प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 के लिए)-

(i). परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टे अर्थात् 150 मिनट होगी।

(ii). संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि	30 MCQs	30

7/-

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.	भाषा प्रथम (हिन्दी)	30 MCQs	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक)	30 MCQs	30
4.	गणित	30 MCQs	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन	30 MCQs	30
	कुल	**150 MCQs**	**150 अंक**

(iii). प्रश्नों की प्रकृति और स्तर

(क) बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रांसगिक अधिगम एवं अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होंगे, तथा वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ आपस में परस्पर अन्तर्क्रिया तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केन्द्रित होंगे।

(ख) भाषा-I में प्रश्न अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगे।

(ग) भाषा-II, भाषा-I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा-II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्प्रेषण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगे।

(घ) गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण -विधियों की समझ पर केन्द्रित होंगे । इन विषय क्षेत्रों में प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित उस विषय के पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित की जायेगी।

(ड़) पेपर I के लिये परीक्षा में प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे, किन्तु उनका कठिनाई स्तर और संयोजन इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।

7.3 द्वितीय प्रश्न पत्र उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक के लिए)

(i) परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे अर्थात् कुल 150 मिनट होगी।

(ii) संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र0सं0	विषय सूची	प्रश्नों की सं0	अंक
1.	बाल विकास और शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQs	30
2.	भाषा I (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
3.	भाषा II (अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
4.	(क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित/विज्ञान (ख) सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन (ग) अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी	60 MCQs	60
	कुल	**150 MCQs**	**150**

8/-

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iii) प्रश्नों की प्रकृति और स्तर

(1) बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 11 से 14 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम और अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केन्द्रित होंगे, तथा वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ परस्पर अन्तक्रिया करने तथा अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केन्द्रित होंगे ।

(2) भाषा I में प्रश्न, अनुदेशों के माध्यम से सम्बन्धित निपुणताओं पर केन्द्रित होंगे।

(3) भाषा II, भाषा I से अलग भाषा होगी। एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जायेगा और आवेदन पत्र में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा। भाषा II में प्रश्न भाषा के तत्वों, सम्प्रेषण और बोध क्षमताओं पर केन्द्रित होंगे।

(4) गणित और विज्ञान/सामाजिक अध्ययन में प्रश्न इन विषयों की संकल्पनाओं, समस्या समाधान करने की क्षमताओं और शिक्षण विधियों की समझ पर केन्द्रित होंगे। गणित और विज्ञान में 30-30 प्रश्न 01-01 अंक के होंगे। प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए निर्धारित उन विषयों के पाठ्यक्रम के भिन्न-भिन्न खण्डों के विषय में समान रूप से वितरित किये जायेंगे।

(5) प्रश्न पत्र II के लिए परीक्षा में प्रश्न कक्षा 6 से 8 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे किन्तु उनका कठिनाई स्तर व संयोजन इण्टरमीडिएट स्तर का होगा।

7.4.उपर्युक्त संरचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम **"परिशिष्ट-I"** मे दिये गये हैं।

8. प्रश्न पत्र की भाषा- प्रश्न पत्र का माध्यम "हिन्दी" अथवा "अंग्रेजी" होगा।

9. अर्हक अंक-

9.1 UP-TET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

9.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक स्वयं/विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।

9.3 UP-TET में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।

9.4 ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रानिक संसाधन द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से सम्पादित कराया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन सं0 भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज/भाषा विकल्प/पार्ट-IV (विज्ञान/गणित या सामाजिक विज्ञान) के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें।

9.5 अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के कॉलम

9/-

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।